न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2022

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. मकना पुत्र पीरा 2. संतोकदेवी पत्नि मकनाराम जातियान मेघवाल निवासी डूंगरी तहसील रानीवाडा जिला–जालोर		1. नेथी पुत्र चमना जाति मेघवाल निवासी डूंगरी तहसील रानीवाडा जिला जालोर 2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री जानू मेघवाल।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री मोहनलाल विश्नोई।
3. अप्रार्थी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक – 18.07.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा डूंगरी मे प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 893 रकबा 1.09 हैक्टेयर आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मकना पुत्र पीरा हिस्सा 1/2, रमेश कुमार पुत्र पीरा हिस्सा 1/4, संतोकदेवी पत्नि मकनाराम हिस्सा 1/4 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। खातेदार रमेश कुमार पुत्र पीरा ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 मकनाराम के हक में जरिये हकतर्कनामा दिनांक 25.11.2021 को कर दिया है। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 893 मे आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक या रेकर्डेड रास्ता नही है। उक्त रास्ते के अभाव में हमारी आराजी में काश्त करने व कृषि उपकरण व साधन ले जाने में भारी कठिनाई आ रही है। इस कारण सही रूप से काश्त भी नहीं कर पा रहे है। हमारे उक्त आराजी में आवागमन हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता हैं तथा कोई वैकल्पित रास्ता मौजूद नहीं होने से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 893 रकबा 1.09 हैक्टेयर आराजी में आवागमन हेतु निकटतम दूरी से रास्ता दिलवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आवागमन हेतु कोई मौजूद रास्ता नही होने से प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आवागमन हेतु रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। जिस हेतु प्रार्थीगण ने श्रीमानजी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसकी पालना में तहसीलदार रानीवाडा से मौका रिपोर्ट तलब की थी । जिसकी पालना में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें खसरा नम्बर 892 में से प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शाये अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता 72 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडा रास्ता दिये जाने की आवश्यकता पडेगी। तथा निकटतम दूरी से प्रार्थीगण की आराजी में आवागमन का रास्ता पडेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 17:03:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण अदालतहाजा के आदेशानुसार अप्रार्थी संख्या 1 की क्षति पूर्ति राशि देने को तैयार है। अतः प्रार्थना मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की आराजी मौजा डूंगरी तहसील रानीवाडा के खसरा नम्बर 893 रकबा 1.09 हैक्टेयर आराजी में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी मौजा डूंगरी के खसरा नम्बर 892 रकबा 1.20 हैक्टेयर में से होकर अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट की मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शित प्रस्तावित स्थान से 72 मीटर लम्बाई व 4 चौड़ाई का रास्ता दिलवाये जाने का आदेश फरमावें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त। अप्रार्थी 1 की ओर जरिये अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब दिया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा डूंगरी प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 893 रकबा 1.09 हैक्टेयर आई हुई है। उक्त आराजी में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक या रेकर्डेड रास्ता होना गलत बताया है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 893 में आने जाने हेतु प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। जहां से कृषि उपकरण व साधन लाने ले जाने का कार्य किया जाता है। प्रार्थी को रास्ते की कोई आत्यान्तिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मौके पर वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है।

प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। तथा वैकल्पिक रास्ता के जरिये प्रार्थीगण उकत आराजी में आवागमन करता है। इसलिए प्रार्थी को रास्तो की कोई आत्यान्तिक आवश्यकता नहीं है। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पटवारी हल्का से मंगवाई गई रिपोर्ट गलत पेश की गई है। प्रार्थी अपने जवाब नजरी नक्शा परिशिष्ट एक्स पेश कर रहा है। उक्त नजरी नक्शा एक्स स्थान में प्रार्थी का खसरा नम्बर स्थित है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 893 के लगतोलगत उत्तर दिशा की तरफ खसरा नम्बर 1367/891 आया हुआ है। उक्त खसरा जो ि कमूल खसरा नम्बर 891 से नवसृजित बना है। तथा खसरा नम्बर 891 के खातेदार व खसरा नम्बर 1366/891 के खातेदार के आपसी बंटवाडा की स्थिति में खसरा नम्बर 1367/891 रकबा 0.04 हैक्टेयर का उपयोग अपभोग रास्ता हेतु किया जाता है। जो नजरी नक्शा में मार्ग एक्स स्थान देखने से ही प्रतित हो रहा है। खसरा नम्बर 1367/891 रकबा 0.04 हैक्टेयर जो कि खसरा नम्बर 891 व 1367/891 के दोनों खातेदार के सामलाती आया हुआ है। जिसका उपयोग उपभोग मात्र रास्ते के अलावा कुछ नहीं है। उपरोक्त तथ्य का हल्का पटवारी व तहसीलदार को ज्ञान होने के बावजूद भी खसरा नम्बर 892 में से रास्ता दिया जाने बाबत मौका रिपोर्ट सहित अपनी राय पेश कर दी। चुकि धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधि0 का उद्देश्य कम से कम खातेदारी का ह्रास करना है, जबकि खसरा नम्बर 1367/891 के खसरा नम्बर का रास्ता मौजूद होने के बावजूद प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का ह्रास करना कतई उचित तथा कानूनी नही है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद तथा वैकल्पिक रास्ता के जरिये प्रार्थीगण उक्त आराजी में आवागमन करता है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज होने से मय खर्चा खारीज फरमावें।

4. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पर जवाब मय रिपोर्ट पेश की जिसके तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खसरा संख्या 89[illegible] 1.09 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में आने–जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। [illegible] आत्यन्तिक आवश्यकता है। उक्त खसरे में आवागमन हेतु नजदीकतम मार्ग बीच [illegible] एक खसरो को छोडकर सरकारी रेकर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 845 रकबा 0.82 हैक्टेयर किस्म गैर मूमकिन रास्ता है। उक्त खसरा नम्बर 845 सरकारी रास्ता व प्रार्थी के खसरा संख्या 893 के बीच

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 17:03:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तावित नजदीकतम रास्ता के मध्य आने वाला खसरा नम्बर 892 रकबा 1.20 हैक्टेयर है जो खातेदार नेथी पुत्र चमना कौम मेघवंशी के नाम से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई 72 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर व कुल क्षेत्रफल 288 वर्गमीटर है। इनकी वर्तमान डीएलसी दर 509327 रूपये प्रति हैक्टेयर है। व कुल प्रतिकर राशि की दुगुनी राशि 29337 रूपये बनती है। व प्रस्तावित मार्ग में अन्य कोई संरचना वृक्ष/पहाड़/नाडी आदि नहीं है।

5. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पेश दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवाने पर बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 1 की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार रानीवाडा से पून रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें पूर्व की रिपोर्ट के तथ्य को दोहराते हुए अप्रार्थी संख्या 1 की आपत्ति के संबंध में निवेदन किया कि मौजा डूंगरी के खसरा नम्बर 1366/891 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम वर्तमान जमाबंदी में गणेशाराम पुत्र रगाराम हिस्सा 1/2, भरतकुमार पुत्र वीराराम हिस्सा 1/2 कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। मौके पर यह खसरा नम्बर की आराजी अलग नही होकर खसरा नम्बर 891 में मिलायी हुई है। जिस पर कब्जा–काश्त खसरा नम्बर 891 के खातेदार का है। इस खसरे की पश्चिमी माठ से सटकर खसरा नम्बर 845 रास्ता व खसरा नम्बर 891 की सीमा पर विधुत विभाग की डी.पी. (ट्रांसफार्मर) लगा हुआ है।

6. हमने प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए खसरा नबंर 892 की उत्तरी माठ से होते हुए खसरा नबंर 893 तक 4 मीटर चौडा रास्ता दिलवाये जाने का निवेदन किया । अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा बहस में जवाब के तथ्यों का दोहरान करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के मौके पर खसरा नबंर 1367/891 में आज भी मौके पर वैकल्पिक रास्ता चालु है। प्रार्थीगण के रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता नही होने पर भी अप्रार्थी संख्या 1 को मात्र हैरान व परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद पेश किया है। अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नबंर 892 में से होकर रास्ता दिया जाना कतई उचित नहीं है तथा न ही न्याय संगत है। सो प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिज खारीज है।

7. हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव व दस्तावेज एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब व बहस में वैकल्पिक रास्ता होने व अन्य स्थान पर मौके पर रास्ता चालु होने का कथन किया, परन्तु इस संबंध में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार मौक पर प्रार्थीगण के आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया गया है। व रास्ते की आत्यान्त्कि आवश्यकता बताई गई है। अतः प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा नम्बर 893 रकबा 1.09 हैक्टेयर मौजा डुंगरी की जमाबंदी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 387 में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी मौजा डुंगरी के खाता संख्या 218 में खसरा नम्बर 892 रकबा 1.20 हैक्टेयर है। उक्त आराजी के पास सरकारी आराजी खसरा नम्बर 845 रकबा 0.82 हैक्टेयर किस्म गै.मू. रास्ता है। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार रानीवाडा की ओर से जवाब के अनुसार खसरा नम्बर 892 के अलावा कोई रास्ता नजदीकतम नही है। व प्रार्थीगण को रास्ते की लम्बाई खसरा नम्बर 892 में 72 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 288 वर्गमीटर होगा, जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 दर 509327 रूपये प्रति हैक्टेयर है। उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

–: आदेश :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2024.08.05 17:08:12 IST
Reason: SelfAttested

8. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 893 में से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 892 मे सें रास्ता दिया जाता है। जिसकी लम्बाई 72 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 288 वर्गमीटर का रास्ता खसरा नम्बर 845 से जोडता है। खसरा नम्बर 892 की डी.एल.सी. दर 509327 रूपये प्रति हैक्टर दर्शाई

है। उक्त दर या वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की दर में वृद्वि हो तो उसकी दुगुनी प्रतिकर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट अप्रार्थी सख्या 1 के हिस्से अनुसार अदा करने हेतु प्रार्थीगण से मंगवाकर भुगतान करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा डिमाण्ड़ ड्राफ्ट से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी करवा कर पेश करने पर अप्रार्थी संख्या 1 को प्रतिकर की राशि का भुगतान करे तथा भुगतान की प्राप्ति इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तत्पश्चात तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अपने जवाब मे प्रस्तुत राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से मार्क लम्बाई 72 मीटर व चौडाई 4 कुल क्षेत्रफल 288 वर्गमीटर का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करें तथा उक्त रास्ते की नक्शा लट्ठा मे तरमीम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रानीवाड़ा को पालना हेतु भेजी जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 17:03:27 IST
Reason: SelfAttested